

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2342]

नई दिल्ली, शनिवार, नवम्बर 15, 2014/कार्तिक 24, 1936

No. 2342]

NEW DELHI, SATURDAY, NOVEMBER 15, 2014/KARTIKA 24, 1936

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

शुद्धिपत्र

नई दिल्ली, 15 नवम्बर, 2014

(आयकर)

का.आ. 2922(अ).—भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड की अधिसूचना संख्या का.आ. 2915(अ), दिनांक 13 नवम्बर, 2014, जिसे भारत के राजपत्र असाधारण, के भाग II खंड 3, उपखंड (ii) में दिनांक 13 नवम्बर, 2014 को प्रकाशित किया गया था, की अनुसूची-I में—

- (i) क्रम संख्या 6 के सामने कॉलम (4) में संख्या और शब्द "(x) प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त (मध्य), विशाखापट्टनम" अंतः स्थापित किया जाता है जिनका मुख्यालय विशाखापट्टनम, जिसे कॉलम (5) में अंतः स्थापित किया जाना है, होगा;
- (ii) क्रम संख्या 6 के सामने कॉलम (5) में संख्या और शब्द "(x) प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त (मध्य), विशाखापट्टनम" जो कॉलम (4) में अंतः स्थापित किये गए हैं, के सामने शब्द "विशाखापट्टनम" अंतः स्थापित किया जाता है;
- (iii) क्रम संख्या 9 के सामने कॉलम (4) में संख्या और शब्द "(xiv) प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त (मध्य), कोलकता-3" और कॉलम (5) में तदनुरूपी प्रविष्टि "कोलकता" का लोप किया जाता है;

- (iv) कॉलम (4) में संख्या (x), (xi), (xii) और (xiii) का क्रमशः संख्या (xi), (xii), (xiii) और (xiv) के रूप में संशोधित किया जाता है।

[अधिसूचना सं. 71 /2014/फा. सं.187/37/2014(आईटीए-I)]

दीपशिखा शर्मा, निदेशक